प्रेस नोट दिनांक 18.02.2026

थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

🔷 **थाना कन्दवा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन से वध हेतु ले जाए जा रहे 11 राशि गोवंशों को बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा गौतस्करी व गौतस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनंत चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष प्रिंयका सिंह थाना कन्दवा के नेतृत्व में थाना कन्दवा पुलिस द्वारा मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर बकौडी नहर तिराहे के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग के दौरान एक वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नं UP67T7324 वाहन को पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किये तो वाहन चालक द्वारा जान बुझकर और तेज गति से चलाकर पुलिस टीम के ऊपर जानमारने की नियत से चढ़ाकर भागने का प्रयास किया गया तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दीकर पकड़ लिया गया उक्त वाहन की चेक किया गया तो 11 राशि गोवंश जिन्दा (6 राशि बछड़ा 4 राशि गाय व 01 राशि बैल) को बरामद कर 01 अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी अनौनी अमेना थाना खानपुर जिला गाजीपुर उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कन्दवा पर मु0अ0सं0 12/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 109(1)/325 बी.एन.एस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि मै व मेरा साथी मिलकर वाहन स्वामी के कहने पर गोवंशो को आस-पास के गाँव वालों से पालने हेतु कम दामों पर खरीदकर इक्ट्ठा कर हम दोनों मिलकर वाहन पर लादकर वध हेतु बकौडी नहर के रास्ते होते हेतु बिहार जाने वाले थे कि बकौडी नहर तिराहा के पास पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-
आशीष कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी अनौनी अमेना थाना खानपुर जिला गाजीपुर उम्र 20 वर्ष

बरामदगी विवरण-
1.एक वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नं UP67T7324
2.11 राशि गोवंश जिन्दा (6 राशि बछड़ा 4 राशि गाय व 01 राशि बैल)

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त आशीष कुमार इससे पूर्व में थाना सैयदराजा में मु0अ0सं0 244/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पंजीकृत किया गया है।

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-</u>

1.थानाध्यक्ष प्रिंयका सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 साहब थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3.का0 आशीष कुमार थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

4.का0 धर्मराज थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

5.म0का0 रूबी सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

6.का0 सविनय कुमार सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

7.का0 फरहान आलम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली